

भारत सरकार  
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय  
राज्य सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 1352  
जिसका उत्तर 22 सितम्बर, 2020 को दिया जाना है।  
31 भाद्रपद, 1942 (शक)

**‘आधार से संबंधित तकनीकी खामियां’**

**1352. डॉ. अमर पटनायक :**

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने आधार से जुड़ी राशन, पेंशन, मनरेगा मजदूरी और स्वास्थ्य सेवाएं/बीमा देने से इनकार करने संबंधी समस्याओं का संज्ञान लिया है;
- (ख) उपर्युक्त समस्या का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं; और
- (ग) क्या सरकार की सभी एनएफएसए लाभार्थियों, पेंशन लाभार्थियों और मनरेगा कामगारों को उस अवधि के लिए मुआवजा देने की कोई योजना है जिसमें आधार में आंकड़े नहीं होने या गैर-प्रमाणीकरण या अन्य तकनीकी कारणों से उनकी पात्रता समाप्त हो गई या उन्हें मजदूरी नहीं मिली ?

उत्तर

**इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री संजय धोत्रे)**

(क) से (ग) : खराब नेटवर्क कनेक्टिविटी, बायोमेट्रिक मिसमैच, डेमोग्राफिक मिसमैच, अमान्य ओटीपी मूल्य, गलत आधार संख्या आदि के कारण आधार प्रमाणीकरण विफलता हो सकती है। किंतु, प्रमाणीकरण विफलता के आधार पर किसी भी निवासी को लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

- 1) यूआईडीएआई ने 24.10.2017 को "सार्वजनिक वितरण सेवाओं और अन्य कल्याणकारी योजनाओं में अपवाद हैंडलिंग" (<https://uidai.gov.in/legal-framework/acts/circulars.html>) के संबंध में भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों को संबोधित एक परिपत्र दिनांक 24.10.2017 जारी किया था, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ लाभार्थियों को सब्सिडी, लाभ या सेवा का निर्बाध वितरण सुनिश्चित करने के लिए कार्यान्वयन के लिए अपवाद हैंडलिंग तंत्र और सहायक पहचान प्रमाणीकरण तंत्र निर्धारित किया गया है।
- 2) डीबीटी मिशन, मंत्रिमंडल सचिवालय ने 19.12.2017 के अपने पत्र के जरिए भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों को (यूआरएल:[https://dbt Bharat.gov.in/data/om/Aadhaar Exception Handling OM 19122017.pdf](https://dbt Bharat.gov.in/data/om/Aadhaar%20Exception%20Handling%20OM%2019122017.pdf) में उपलब्ध) सरकार की लाभ योजनाओं में आधार के उपयोग के लिए अपवाद हैंडलिंग संबंधी दिशानिर्देश भी जारी किए थे, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ ऐसे लाभार्थियों तक लाभों का विस्तार करने के तंत्र का उल्लेख है, जिनके पास आधार नहीं है।

इसके अलावा, इन दिशानिर्देशों में ऐसे मामलों के संबंध में निम्नलिखित तंत्र का उल्लेख है जहां आधार प्रमाणीकरण विफल रहता है:

- i. विभाग और बैंक शाखाएं, जहां भी संभव हो, फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ इरिस स्कैनर के लिए प्रावधान कर सकते हैं।
- ii. कनेक्टिविटी की कमी के कारण विफलता के मामलों में, ऑफ़लाइन प्रमाणीकरण प्रणाली जैसे कि क्यूआर कोड आधारित कूपन, मोबाइल आधारित ओटीपी या टीओटीपी का पता लगाया जा सकता है।
- iii. सभी मामलों में जहां ऑनलाइन प्रमाणीकरण संभव नहीं है, रजिस्टर में लेनदेन की विधिवत रिकॉर्डिंग के बाद, जिसकी समय-समय पर समीक्षा और ऑडिट किया जाएगा, लाभ/सेवा आधार के कब्जे के आधार पर प्रदान की जा सकती है।

\*\*\*\*\*